न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 65 / 2020

प्रार्थीगण

1. शैतानसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी थापन
2. छैलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी थापन
3. नकलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी थापन
4. मोहनकवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. स्व मदूसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि वासी थापन के विधिक वारिसान

5/1 भवरीकवर पत्नी मदूसिंह

5/2 मनोहर कवर पत्नी मानसिंह

5/3 अनोपसिंह पुत्र मदूसिंह

5/4 सीताकवर पुत्री मदूसिंह नाबलिक क कुदरती वलीया माता भंवरीकंवर पत्नी मदूसिंह राजपूत निवासी ग्राम थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण गण:–

1. इमरान खा पुत्र सबीरखां जाति मुसलमान हिस्सा 1/2 निवासी बडी मस्जिद के पास बालोतरा तहसील पचपदरा
2. मोहम्मद दाउद पुत्र याकूबखा जाति मुसलमान निवासी खेतेश्वर कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
4. एसबीआई बैंक शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित –

1. श्री लादाराम परमार अधिवक्ता प्रार्थीगण गण
2. श्री ललित जांगिड अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2

–: आदेश :–

दिनांक :– 22.03.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम थापन पटवार क्षेत्र थापन तहसील सिवाना खेत खसरा नम्बर 719 रकबा 1.9830 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत के बदिशा उत्तर में स्थित विप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर ... रकबा 2.3067 हैक्टयर माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाया जाता है। इस मार्ग का प्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विगत पीढियों से सुचारू रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते पर आवागमन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

बावत् विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करते है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 719 से कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 697 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री ललित जागिड द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/73 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की ।

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी दौराने बहस विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में उप पद (c) में गलत व मनगढत व बनावटी तथ्य लिखकर गलत परिशिष्ट बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने हेतु पहले से ही रास्ता खसरा संख्या 718 के पूर्वी दिशा में होते हुए खसरा संख्या 717 में से गुजरता है मगर प्रार्थीगण द्वारा उनको पक्षकार नहीं बनाकर मौके पर रास्ता होते हुए भी विप्रार्थीगण की भूमि को हडप करने की मंशा अनुरूप उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मौखिक आपत्ति जाहिर की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौखिक आपित्त का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 719 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 697 सबसे नजदीकी रास्ता है जिसकी तसदीक तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सलंगन मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2020 से भी होती है व विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर मौखिक आपत्ति की गई है आपत्ति बावत किसी प्रकार का साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है केवल प्रार्थना पत्र को लम्बित रखने के लिये मौखिक आपत्ति कर रहे है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:01:52 IST
Reason: Self Attested

की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खेत में आवगमन प्रार्थना पत्र में संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे दर्शाये बिन्दू संख्या A से B रास्ता वर्तमान में पगडण्डी चलती है तथा प्रार्थीगण द्वारा उसी रास्ता हेतु आवेदन किया है प्रस्तावित रास्ता A से B मौके पर डामर (पक्की) सडक बिन्दू संख्या C से D को मिलती है जो रेकर्ड मे कटान नहीं है। बिन्दू संख्या A से B रास्ता की मौकानुसार लम्बाई 46x2= 92 गट्ठा अर्थात 0.0372 हैक्टयर भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ उपयोग मे आयेंगी जिसकी वर्तमान निर्धारित डीएलसी दर 574537/–रूपये है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तावित प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा थापन के खसरा नम्बर 719 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 697 में से रास्ता अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व/2021/73 दिनाक 12.02.201 के संलग्न के मौका फर्द दिनाक 26.12.2020 के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शाए A से B "वरंग लाल" अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 719 ग्राम थापन पटवार मण्डल थापन मे आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा थापन के खसरा नम्बर 697 में से 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया मौका रिपोर्ट मय के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' आदेश का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की आदेश दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी जो डीएलसी द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुना [illegible] होगी। प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली [illegible] के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई के रास्ता मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्यन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज होगी प्रार्थीगण के इस प्रकार नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई भूमि को रास्ते के रूप में मौका फर्द दिनांक 26.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाई A से B तक उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आर्जित नहीं होगे। रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्बन्धित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा मौका फर्द दिनांक 26.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नजरी नक्शा अनुसार नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई रास्ता A से B तक मौजा थापन पटवार मण्डल थापन के खेत खसरा संख्या 719 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 697 मे से दिए जाने के आदेश दिया जाते है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में रास्ते की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थीगण को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2021/73 दिनांक 12.02.2021 द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 26.12.2020 के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक [illegible].2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

नक्शा मौका परिशिष्ट 'अ'

नक्शा - किश्तवार
मौजा - थापन
तहसील - सिवाना
पैमाना 1 इंच = 40 गट्ठा

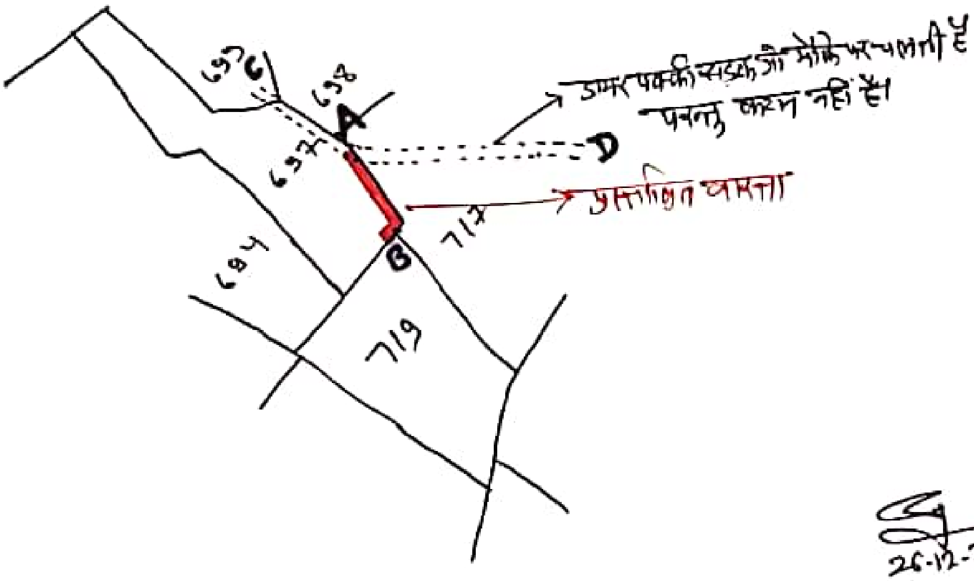

26-12-2020
ILR-थापन

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प.-थापन

सरकारी परियोजनार्थ नि:शुल्क जारी करे गई।

30-12-2020
पटवारी -थापन

तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested